

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2024 — माघ 10, शक 1945

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 जनवरी 2024

### अधिसूचना

क्रमांक एफ 04-124 /2023/सात-4. – छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3,4,5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-124 /सात-3 /2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित अग्रतर संशोधन करती है, अर्थात् :–

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

सरल क्रमांक 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

सं. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा, जो प्रदान की जानी है	सेवा प्रदाय करने का समय—सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
“23	संबंधित राजस्व न्यायालय	अविवादित श्रेणी के मूल मामले	90 कार्य दिवस	संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	कलेक्टर	संभागायुक्त
24	संबंधित राजस्व न्यायालय	विवादित श्रेणी के मूल मामले	180 कार्य दिवस	संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	कलेक्टर	संभागायुक्त
25	संबंधित राजस्व न्यायालय (कलेक्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय)	अपील/पुनरीक्षण/ पुनर्विलोकन के मामले	180 कार्य दिवस	संबंधित न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	कलेक्टर	संभागायुक्त”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश कुमार शर्मा, विशेष सचिव.